

हजारीबाग नगर परिषद, हजारीबाग

ज्ञापांक ...178.../भ.नि.

प्रेषित :

~~श्री विवेकानंद सिंह एन डब्ल्यू~~
~~पिता श्री कली प्रताप सिंह~~
~~न्यू एडिटा ओफिस~~

हजारीबाग, दिनांक 04/08/15

विषय : भवन चित्र वाद संख्या ...169.../2015 की स्वीकृत्यादेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 427(3) एवं नगर विकास विभाग की अधिसूचना सं. सं.-2/न.वि./भ.उ.वि./22/2010-504, राँची दिनांक 10.02.2012 के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित भवन निर्माण/वर्तमान भवन में परिवर्तन के नक्शे की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है :-

1. भवन में तड़ित चालक अधिष्ठापित करना अनिवार्य है।
2. भवन का निर्माण किसी जल श्रोत को भरकर/बंदकर नहीं किया जाना है।
3. मू जल स्तर को नियंत्रित करने हेतु भवन निर्माण के दौरान Water Harvesting का प्रावधान करना अनिवार्य है।
4. किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत भवन प्लान वाद संख्या ...169/15 में प्रस्तावित मंजिल में आवारीय/व्यवसायिक इकाई की संख्या में वृद्धि मान्य नहीं होगी अर्थात् विचलन मान्य नहीं होगी।
5. भवन निर्माण के दौरान भवन निर्माण से संबंधित कोई भी सामग्री सड़क पर नहीं रखना है।
6. भवन प्लान की स्वीकृति हेतु दिये गये आवेदन के साथ शपथ पत्र में वर्णित सभी शर्तों का पालन अक्षरशः करना होगा।
7. अग्निशमन कार्यालय, झारखण्ड राँची के पत्रांक 316 दिनांक 8-2-15 में वर्णित नियमों/प्रावधानों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
8. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 427(5) के अनुसार अनुमान्य शुल्क देय होगा।
9. झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2011 के सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. भवन चित्र की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू-स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
11. भवन प्लान की स्वीकृति के उपरांत तथा भवन निर्माण पूर्ण होने के पूर्व नगरपरिषद द्वारा यदि कोई अन्य शर्त/नियम/कर लगाये जाते हैं, तो भवन निर्माण के समय आवेदक को उनका भी पालन करना होगा।

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए स्वीकृत भवन चित्र के अनुरूप ही अपने भवन का निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा जांच के दौरान शर्तों के उल्लंघन की दशा में आपके विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुरांगत धारा के अंतर्गत निर्माण कार्य रोक कर अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

अनुलग्नक :

1. स्वीकृत भवन चित्र।
2. पत्रांक 316 दि. 8-2-15 की छायाप्रति।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, हजारीबाग